न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 605/2022

अनवान : —

1. कौशल्या पुत्री ख्यालीराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चारणवावसी तहसील नोहर।

—वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः 24/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 22/23 के मु0न0 42 के किला न0 20, 21, मु0 न0 43 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 की कुल 2.0240 है0 भूमि में से 1/42 हिस्सा व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 119/113 के मु0 न0 20 के किला 25/1, मु0 न0 27 के किला न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1 16/2, 17 ता 19, 23 ता 24, मु0 न0 19 के किला न0 16, 17, 21 ता 25, मु0 न0 28 के किला न0 1 ता 20 की कुल 11.3850 है0 भूमि में से 1/70 हिस्सा व खाता स0 100/94 के मु0 न0 28 के किला न0 16, 21 ता 25 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन् के खाता संख्या 134/129 के मु0न0 55 के किला न0 1 ता 3 मु0 न0 43 के किला न0 20 ता 23, मु0 न0 54 के किला न0 1 ता 2 की कुल 2.2770 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीया का नाम गुड्डी दर्ज है जबकि वादीया के सभी दस्तावेजों में वादीया का नाम कौशल्या दर्ज है। लेकिन संवहन से राजस्व रिकार्ड में गुड्डी पुत्री ख्यालीराम दर्ज हो गया, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में गुड्डी पुत्री ख्यालीराम दर्ज होने के कारण वादीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग [illegible] नहीं कर पा रहा है तथा वादीया अपना नाम गुड्डी की जगह गुड्डी [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:29:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीया का सही नाम कौशल्या पुत्री ख्यालीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में गुड्डी पुत्री ख्यालीराम दर्ज हो गया जिससे वादीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादीया के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड , पहचान पत्र, राशन कार्ड, व रिपॉर्ट सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी आदि में वादीया का नाम कौशल्या पुत्री ख्यालीराम ही दर्ज है। अतः मुताबिक वादीया के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीया का नाम गुड्डी पुत्री ख्यालीराम के स्थान पर गुड्डी उर्फ कौशल्या पुत्री ख्यालीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीया ने रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 22/23 के मु0न0 42 के किला न0 20, 21, मु0 न0 43 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 की कुल 2.0240 है0 भूमि में से 1/42 हिस्सा व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 119/113 के मु0 न0 20 के किला 25/1, मु0 न0 27 के किला न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1 16/2, 17 ता 19, 23 ता 24, मु0 न0 19 के किला न0 16, 17, 21 ता 25, मु0 न0 28 के किला न0 1 ता 20 की कुल 11.3850 है0 भूमि में से 1/70 हिस्सा व खाता स0 100/94 के मु0 न0 28 के किला न0 16, 21 ता 25 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 134/129 के मु0न0 55 के किला न0 1 ता 3 मु0 न0 43 के किला न0 20 ता 23, मु0 न0 54 के किला न0 1 ता 2 की कुल 2.2770 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा भूमि वादीया गुड्डी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी का नाम गुड्डी दर्ज है जिसमें वादीया ने अपना नाम गुड्डी के स्थान पर उसका सही नाम गुड्डी उर्फ कौशल्या दर्ज करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीया का नाम कौशल्या दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मलवानी रिपॉर्ट के अनुसार वादीया का कौशल्या नाम सही होना अंकित है। रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/94 व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता 134/129 में वादिया का नाम गुड्डी दर्ज है। उक्त दोनों खातों में गुड्डी के स्थान पर गुड्डी उर्फ कौशल्या नाम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:29:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 100/94 के मु0 न0 28 के किला न0 16, 21 ता 25 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 134/129 के मु0न0 55 के किला न0 1 ता 3 मु0 न0 43 के किला न0 20 ता 23, मु0 न0 54 के किला न0 1 ता 2 की कुल 2.2770 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीया का नाम गुड्डी पुत्री ख्यालीराम दर्ज है, में गुड्डी पुत्री ख्यालीराम के स्थान पर गुड्डी उर्फ कौशल्या पुत्री ख्यालीराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गुड्डी पुत्री ख्यालीराम के नाम से हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुड्डी पुत्री ख्यालीराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:29:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 605/2022

अनवान : –

1. कौशल्या पुत्री ख्यालीराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चारणवावसी तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 100/94 के मु0 न0 28 के किला न0 16, 21 ता 25 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 134/129 के मु0न0 55 के किला न0 1 व्ता 3 मु0 न0 43 के किला न0 20 ता 23, मु0 न0 54 के किला न0 1 ता 2 की कुल 2.2770 है0 भूमि में से 1/21 हिस्सा भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीया का नाम गुड्डी पुत्री ख्यालीराम दर्ज है, में गुड्डी पुत्री ख्यालीराम के स्थान पर गुड्डी उर्फ कौशल्या पुत्री ख्यालीराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गुड्डी पुत्री ख्यालीराम के नाम से हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुड्डी पुत्री ख्यालीराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:29:58 IST
Reason: SelfAttested